

INDIAN ARMED FORCES- RETIRED OFFICERS- IDENTITY CARD

| | |
|------------------------------------|--|
| (क) व्यक्ति का नाम | MR-03840L |
| (ख) Personal Number | MR-03840L |
| (ग) पुरा नाम | WARRINDER K GUJAR |
| (घ) Name in full | WARRINDER K GUJAR |
| (ङ) सेवा - निवृत्ति के समय रैंक | AVMS COL |
| (च) Rank at the time of retirement | AVMS COL |
| (ज) रेजिमेंट / कोर / सेना | AVMS COL |
| (झ) Regt / Corp / Arm of Service | AVMS COL |
| (झ) सेवा की तारीख | 01 NOV 1950 |
| (ञ) Date of Birth | 01 NOV 1950 |
| (ट) हस्ताक्षर |  |
| (ड) Signature |  |
| कार्ड पर निकाले गए अंगूठे का निशान |  |
| Left Thumb Print of Holder |  |
| साक्षी के हस्ताक्षर और रैंक |  |
| Signature and Rank of Witness |  |
| तारीख Date | 13 SEP 2008 |

| | |
|--|-------------------|
| क्र. संख्या Serial | 097002 |
| कद Height | 162.5 |
| बालों का रंग Colour of Hair | BLACK |
| आँखों का रंग Colour of Eyes | BLACK |
| दृश्य पहचान चिह्न Visible Identification Marks | BM ON RT FOREARM. |



भारत INDIA



कार्ड की सामान्य शर्तें
General Conditions of Issue

1. यह कार्ड केवल उसी अधिकारी से जारी किया जा सकता है जिसका नाम इस कार्ड पर उल्लेख किया गया है।
This document is valid only to the identity of the person described in it and is not a permit, pass or passport.
2. यह कार्ड केवल निम्नलिखित शर्तों पर ही जारी किया जा सकता है।
This card can be issued on following conditions:-
(a) औपचारिक और सैनिक शर्तों पर।
(b) (i) Drawing of entry at certain posts.
(ii) Any other particular occasions when authority is permitted to attend officers.
3. यह कार्ड केवल सैनिक अधिकारियों के लिए ही जारी किया जा सकता है।
This card is to be issued only to military officers.
4. यह कार्ड केवल सैनिक अधिकारियों के लिए ही जारी किया जा सकता है।
This card is to be issued only to military officers.
5. यह कार्ड केवल सैनिक अधिकारियों के लिए ही जारी किया जा सकता है।
This card is to be issued only to military officers.

भा. से. फा. के. 2015 अ
IAFZ 2015 - A

सहस्रनाम कार्ड
IDENTITY CARD

भारतीय सशस्त्र सेनाएं
INDIAN ARMED FORCES

सेवा-निवृत्त अधिकारियों
RETIRED OFFICERS

1. यह कार्ड अहस्तांतरणीय है और मांगने पर प्रस्तुत किया जाएगा।
This card is not transferable and is to be produced on demand.
2. इस कार्ड के खो जाने पर निर्गम प्राधिकारी, स्थानीय सैनिक प्राधिकारी और सिविल पुलिस को तत्काल सूचित किया जाएगा।
In the event of its loss, the Issuing Authority, Local Military Authority and Civil Police is to be informed immediately.